purpose.

(c) Bureau of Indian Standards (B.I.S.) have notified specifications for drinking water and guidelines for the quality of irrigation water. Limits for essential characteristics for drinking water and medium range quality for irrigation water are given in the Statement (*see* below). No limits have been specified by B.I.S. in case of drinking water for animals.

Statement

Essential Characteristics for Drinking Water as specified by Bureau of Indian Standards (BIS), IS 10500: 1991

S.No.	Substance or Characteristic	Maximum Permissible Limit (Except for Residual, Free Chlorine).
1.	Colour (Hazen units)	25
2.	Turbidity (NTU)	10
3.	pH Value	6.5 to 8.5
4.	Total hardness (as Ca Co_3)	600
5.	Iron (as Fe) mg/mg/l	1.0
6.	Chlorides (as cl) mg/l	1000
7.	Residual, free Chlorine mg/l, minimum	0.2

Desirable characteristics for drinking water have also been notified by B.I.S. vide IS 10500:1991

Quality of Irrigation Water as specified by Bureau of Indian Standards (BIS), IS: 11624: 1986.

		(Medium Range)
1.	Electrical conductivity (EC) (Micromhos/cm)	1500-3000
2.	Sodium Adscorption Ratio (SAR) (Millimole/litre)	10-18
3.	Residual Sodium Carbonate (mg/l)	1.5-3.0
4.	Boron (PPM)	1.0-2.0

NOTE: Water quality rating based on total salt concentration, sodium adsorption ratio, residual sodium carbonate and boron content for different classes and suitability of irrigation water for semi-tolerant/tolerant crops in different soil types have also been notified by BIS vide IS 11624 :1986.

मरू-भूमि के विस्तार को रोकने के लिए समझौता

7084. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने मरू-भूमि के विस्तार को रोकने के लिए हाल ही में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है और इस पर किन-किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार पर क्या-क्या विशिष्ट और विशेष दायित्व आ गए हैं; और

(घ) इन दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) इस कन्वेंशन का उद्देश्य जैसा कि इसके अनुच्छेद 2 में कहा गया है, गम्भीर सूखे और/अथवा मरूस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहे देशों, खासतौर पर अफ्रीका में सभी स्तरों पर प्रभावी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी समझौतों के जरिए मरूस्थलीकरण का सामना करना और सूखे के प्रभावों को कम करना है।

14.2.95 तक कुल 97 देशों और यूरोपीय संघों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इन देशों के नाम विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिये)।

(ग) भारत एक प्रभावित देश पक्षकार है और कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध प्रतिबद्धताओं के प्रति उत्तरदायी है। संक्षेप में इनमें मरूस्थलीकरण का सामना करने, उसके लिए कार्यनीतियां तैयार करने, सभी संबंधितों में जागरूकता पैदा करने और भागीदारी की सुविधाजनक बनाने तथा एक उचित समर्थ्यकारी पर्यावरण प्रदान करने को प्राथमिकता देना शामिल है।

(घ) मरूस्थल विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मरूस्थलीकरण का सामना करने और सूखे के प्रभावों

को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

विवरण

हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची

14-15 अक्तूबर, 1994 को पेरिस में निम्नलिखित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए:-

अलजीरिया	इथोपिया	मैक्सिको
अंगोला	यूरोपीय संघ	मंगोलिया
अर्जेंनटीना	फिनलैंड	मोरक्को
अर्मेनिया	फ्रांस	नीजर
आस्ट्रेलिया	जाम्बिया	नार्वे
बंगलादेश	घाना	नीदरलैंड
बेनिन	जार्जजिया	पाकिस्तान
बोल्विया	जर्मनी	पेरू
ब्राज़ील	ग्रीस	पुर्तगाल
बुर्किना फासो	गीनिया	कोरिया गणतंत्र
बुरूण्डी	गिनिया-बिस्सौ	सेंट विल्सेंट व ग्रेनाडियन
कम्बोडिया	हेटी	
कैमरून	भारत	सेनेगल
कनाडा	इंडोनेशिया	सेसल्स
केप वेर्डे (मध्य अफ्रीका गणतंत्र)	ईरान (इस्लामी रिपब्लिक)	स्पेन
चाड	आयरलैंड	सुडान
चीन	इज़राईल	स्वीडन
कोलम्बिया	इटली	स्वीट्जरलैंड
कामरासे	जापान	सियारन अरब गणतंत्र
कांगो	कज़ाकिस्तान	तोगो
कोस्टारिका	केन्या	तुनिसिया
कोटडआइवोरा	लेबनान	तुर्की
क्रोटिया	लेसोथो	यूनाइडिट किंगडम
क्यूबा	लिबियन अरब जमाडिरिया	यूनाइटेड रिपब्लिक
डेनमार्क	लक्सम्बोर	ऑफ तनजानियां
जिबूटी	मैडागास्कर	
मिश्र	आती	संयुक्त राज्य अमरीका
भूमध्य-गिन्नी	माल्टा	जाइरे
इरिटरिया	मारटिनिया	जाम्बिया
		ज़िम्बाबवे

निम्नलिखित देशों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए

नाम्बिया	यूगांडा	माइक्रोनेशिया
नाइज़ीरिया	परागुवा	दक्षिण अफ्रीका
साइरालियोन	उज़बेकिस्तान	मलावी
निकारागुआ	फिलीपीन्स	इक्वेडोर